कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 21( )2012 / विकास / प्रमुवसं / दिनांकः

परिपत्र

राजस्थान राज्य वन नीति–2010, के अनुसार राज्य के 20 प्रतिशत भू भाग पर वृक्षाच्छादित क्षेत्र विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । जबकि राज्य के कुल भू भाग का केवल 9.57 प्रतिशत ही वन क्षेत्र है, तथा केवल 4.69 प्रतिशत ही सघन वनावरण है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बाँरा के किशनगंज एवं शाहबाद तथा सिरोही जिले के आबू रोड़ तहसील) में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, जो अनुसूचित क्षेत्रों के भू भाग का 16.61 प्रतिशत है। अतः आवश्यक है कि अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय युवकों को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण से जोड़ा जावे । इससे एक तरफ युवा ऊर्जा का सदुपयोग हो सकेगा तो वहां दूसरी ओर उनके आस पास स्थित वनक्षेत्रों के विकास को गति मिलेगी एवं इसके साथ ही वन क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सकेगा। राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में भी वनवासी युवकों को वन सरंक्षण एवं वृक्षारोपण में भागीदारी सुनिश्चित कराये जाने का उल्लेख है।

विभाग द्वारा जनभागीदारी को बढ़ावा देने हेतु पूर्व में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा समितियों के गठन के संबंध में दिशा–निर्देश प्रसारित किए गए है। जिसके क्रम में विभिन्न वन मण्डलों द्वारा उनके अधीन वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाकर उन्हे पंजीकृत किया गया है। साझा वन प्रबन्ध के दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि वन सुरक्षा समितियों में हर परिवार के सभी वयस्क व्यक्ति समिति के सदस्य बनने के पात्र होगें। अतः उपरोक्तानुसार गठित वन सुरक्षा समितियों में युवको को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य में सक्रिय रूप से जोडा जावे । इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में विभिन्न स्वंय सेवी संस्थायें एवं अन्य युवकों से संबंधित संस्थायें, जैसे– नेहरू युवा केन्द्र, भारत निर्माण क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी एवं विद्यालयों में बनाये गये इको क्लब इत्यादि,भी कार्यरत हैं । इन संस्थाओ के माध्यम से भी युवकों को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के कार्यो में भागीदारी सुनिश्चित कराया जाये ।

वनवासी युवको के वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण में भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. जिला मुख्यालयो पर इस विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाकर स्थानीय वनवासी युवको को राजस्थान वन अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम इत्यादि की संक्षिप्त जानकारी देकर इन्हें जागरूक कराया जाये।
2. वनवासी युवको की सहायता से वृक्षारोपण के समय स्कूल व कालेजों में छात्रो की रैलियां निकलवाकर, संगोष्ठिया आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण के लिये प्रेरित किया जाये।

3. ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/पर्यावरण विकास समिति के युवा सदस्यो को उनके क्षेत्र में वन्य जीव अपराध सम्बन्धी कार्यकलापो की रोकथाम एवं नियंत्रण में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने में सहयोग लिया जावे। साथ ही शिकार निषिद्ध गतिविधियॉ जैसे छापे आयोजित करने, मुल्जिमो की गिरफ्तारी एवं निगरानी कर अपराधो की रोकथाम में वनवासी युवको की सहायता ली जावे।
4. वन क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु ग्रामीणों में जागरूकता उत्पन्न कराने एवं वन सुरक्षा के लिए वनवासी युवको का सहयोग लिया जावे । वन अतिक्रमण रोकने मे इनकी सहायता से स्थानीय ग्रामीणो का सहयोग प्राप्त किया जावे तथा वनो को पशुओं एवं अग्नि से होने वाले नुकसान से सुरक्षा करने के लिए इन वनवासी युवको की सहायता से ग्रामीणो को जागरूक कराया जावे।
5. वन क्षेत्र में वन अपराध के घटित होने की जानकारी वनवासी युवकों के माध्यम से तत्काल सूचना वन प्रशासन को देने के लिए प्रेरित किया जावे। वनवासी युवको को वन विभाग के स्टाफ के साथ अवैध चराई की रोकथाम तथा ग्रामीणों को जागरूक करने में सहायता प्राप्त की जावे।
6. वनवासी युवकों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन सम्बन्धी गतिविधियो के साथ जोडा जावे ताकि आय के साधन बढ़े ।
7. वर्ष पर्यन्त अच्छे कार्य करने वाले वनवासी युवक/समूहों को चिन्हित किया जाये तथा जिला स्तरीय समारोह/राज्य स्तरीय समारोह में उनको सम्मानित किया जाये ।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही कर प्रगति से इस कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अवगत कराया जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF)
राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांक: एफ 21( )2012/विकास/प्रमुवसं/ 3925-4020 दिनांक: 11-9-14

प्रतिलिपि :- समस्त संबंधित वनाधिकारियों को पालनार्थ हेतु प्रेषित है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF)
राजस्थान,जयपुर ।